रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 798] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937
No. 798] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/ AGRAHAYANA 27, 1937

indiacode

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,18 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि.985(अ).— कतिपय नियमों का प्रारूप, अर्थात भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 112 की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 08 जुलाई, 2015 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 547 (अ.), तारीख 08 जुलाई, 2015 द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उस तारीख से जिसको राजपत्र जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और जबकि राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को तारीख 08 जुलाई, 2015 को उपलब्ध करवा दी गई थी;

और जबकि उक्त प्रारूप नियमों पर आम जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 109 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खंड (ख), (ड.), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ण), (त), (द), (ध), (न), और (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

अध्याय I

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार **(प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना)** नियम, 2015 है।

(2) ये भूमि अर्जन के मामलों में लागू होंगे जिनमें भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें आगे अधिनियम कहा गया है) के अनुसार केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में जब तक कि विषय-वस्तु में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

और जब कि,

(क) "आधार संख्या" से अभिप्राय,12 अंको के उस विशिष्ट पहचान संख्या से है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा किसी व्यक्ति से संबंधित जनांकिकी और बायोमेट्रिक सूचना के डी-डुप्लीकेशन के पश्चात उस व्यक्ति के लिए बनाया गया है और जारी किया गया है।

(ख) "अधिनियम" से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 , (2013 का 30) अभिप्रेत है।

(ग) "सहमति-आधारित आधार अधिप्रमाण सेवा" से अभिप्राय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी द्वारा किसी व्यक्ति के अनुरोध अथवा उसकी सहमति से बायोमेट्रिक सूचना को, यूआईडीएआई द्वारा अपने केन्द्रीय सर्वर में अनुरक्षित सूचना के साथ मिलान के पश्चात किया गया इलेक्ट्रानिकी अधिप्रमाण से है और इसमें 'हां/ना' का प्रत्युत्तर, अथवा उस व्यक्ति की जनसांख्यिकी सूचना और फोटो का प्रत्युत्तर अंतर्विष्ट होना सम्मिलित है।

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(ङ) प्रयुक्त किए गए शब्द और पद, जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया, है लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जिन्हें अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

भूमि अर्जन हेतु अनुरोध

3. भूमि अर्जन हेतु अनुरोध:- (1) सामाजिक समाघात निर्धारण, जहां कहीं लागू हो, पूरा करने के पश्चात और जहां कहीं समुचित सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी भी क्षेत्र में भूमि की लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षा है या अपेक्षा होने की संभावना है, के पश्चात कोई भी अर्जक निकाय या इसके द्वारा प्राधिकृत इसका प्रतिनिधि, जिसके लिए भूमि अर्जित की जानी है, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **प्ररूप -** I में संबंधित कलेक्टर को अनुरोध दायर करेगा:

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ;

(ii) परियोजना का मंजूरी पत्र;

(iii) अधिकार के अभिलेख की तीन प्रतियां और प्रभावित क्षेत्रों के राजस्व मानचित्र;

(iv) भूमि के वर्गीकरण अर्थात भूमि, सिंचित बहु-फसली या एकल फसली या बंजरभूमि आदि की सूचना;

(v) कलेक्टर द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य सूचना।

(2) उपनियम (1) के अधीन कलेक्टर को दाखिल की गई अनुरोध की प्रति आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) यदि अर्जन करने वाला निकाय सरकार है तो संबंध विभाग के सचिव द्वारा अनुरोध दाखिल किया जाएगा और पब्लिक सेक्टर उपक्रम की दशा में ऐसे उपक्रम के साथ व्यवहार करने वाले विभाग के सचिव द्वारा अनुरोध दाखिल किया जाएगा।

4. अनुरोध प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा कार्रवाई:- (1) (क) नियम 3 के उपनियम 1 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर कलेक्टर, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन विभाग या कलेक्टर द्वारा निर्धारित किसी अन्य विभाग के अधिकारियो की एक समिति गठित करेगा जो:

(i) बंजर या शुष्क भूमि की उपलब्धता ;

(ii) नियम 3 के उपनियम 1 के अधीन की अपेक्षा में प्रस्तुत ब्यौरों की सत्यता;

(iii) परियोजना के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि अर्जित करना;

(iv) यह कि क्या अनुरोध अधिनियम के उपबंधों के संगत है, इस आशय की प्रारंभिक जांच करने के लिए अर्जक निकाय के प्रतिनिधियों के साथ फील्ड दौरे करेगी और कलेक्टर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

IndiaCode

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित करेगी, अर्थात:-

(i) कि प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होगा;

(ii) अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार परियोजना के लिए आवश्यक कोरा न्यूनतम क्षेत्र है;

(iii) किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन करने पर विचार किया गया है और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है;

(iv) कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं है जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई हो;

(v) पूर्व में अर्जित और अप्रयुक्त पड़ी भूमि, यदि कोई हो, ऐसे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है;

(vi) समिति की सिफारिशें।

(2) (क) यदि कलेक्टर, उप नियम (1) में उल्लिखित समिति की रिपोर्ट, उसके पास उपलब्ध अन्य जानकारी और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि अनुरोध अधिनियम के उपंबंधों के अनुरूप है, वह धारा 3 के खंड (i) में यथा परिभाषित अर्जन की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन तैयार करेगा।

(ख) धारा 3 के खंड (झ) के उप खंड (vi) की मद (क) के अधीन प्रशासनिक लागत, धारा 3 के खंड (झ) के उपखंड (i) में यथा उपबंधित मुआवजे की लागत के 05 प्रतिशत की दर से होगी परन्तु यह राशि अधिकतम 5 करोड़ रूपये के अधीन होगी।

(ग) कलेक्टर, अर्जक निकाय को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कलेक्टर कार्यालय के नामनिर्दिष्ट खाते में अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा प्रकाशित होने से पूर्व अर्जन की प्राक्कलित लागत अथवा कलेक्टर द्वारा यथानिर्धारित उसका कोई भाग जमा करने की सूचना देगा और अर्जक निकाय, उक्त अवधि के भीतर उसे जमा करेगा।

(3) अर्जक निकाय, कलेक्टर द्वारा तैयार अंतिम प्राक्कलन के पश्चात अर्जन की शेष लागत जमा करेगा और यदि प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी भी अतिरिक्त राशि का अधिनिर्णय दिया जाता है तो उसे यथा अपेक्षित तत्काल जमा किया जाएगा।

IndiaCode

अध्याय III

भूमि अर्जन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

5. प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन:- (1) धारा 11 में निर्दिष्ट प्रारंभिक सूचना **प्ररूप - II** में प्रकाशित की जाएगी।

(2) प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति प्रभावित क्षेत्रों में सहज दृश्य स्थानों पर चस्पा की जाएगी और ढोल बजाकर आम जनता को इसकी सूचना भी दी जाएगी।

(3) प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात, कलेक्टर, निम्नानुसार यथाविनिर्दिष्ट भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने के कार्य को पूरा करवाना सुनिश्चित करेगा:-

(क) मृत व्यक्तियों के नामों का लोप करना;

(ख) मृत व्यक्तियों के विधिक वारिसों के नामों की प्रविष्टि करना;

(ग) भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्रीकृत संव्यवहारों जैसे विक्रय, दान, विभाजन आदि को प्रविष्ट करना;

(घ) बंधक की सभी प्रविष्टियों को भूमि अभिलेखों में प्रविष्टि करना;

(ङ) यदि उधार देने वाला अभिकरण, बंधक संपत्ति विलेख के रजिस्ट्रीकृत प्रतिहस्तांतरण के माध्यम से लिए गए ऋण के पूर्ण संदाय का पत्र जारी करती है तो बंधक की प्रविष्टियों का लोप करना;

(च) सभी विद्यमान वन विधियों के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियां करना;

(छ) सरकारी भूमि के मामले में आवश्यक प्रविष्टियां करना;

(ज) भूमि पर परिसंपत्तियों जैसे भवनों, वृक्षों, कुंओं आदि के संबंध में प्रविष्टियां करना;

(झ) भूमि पर बटाईदारों की प्रविष्टियां करना;

(ञ) उगाई गई या बोई गई फसलों और ऐसी फसलों के क्षेत्र की प्रविष्टियां करना; और

(ट) कोई अन्य सुसंगत प्रविष्टियां।

6. आपत्तियों की सुनवाई :- (1) कलेक्टर आक्षेपों को आमंत्रित करने के लिए **प्ररूप - III** में एक नोटिस जारी करेगा और धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित सभी आपत्तियों पर सुनवाई करने और जांच करने के पश्चात निर्णय हेतु समुचित सरकार को आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) कलेक्टर की रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:-

(क) इस आशय का मूल्यांकन कि क्या प्रस्तावित अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होगा;

(ख) क्या अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का क्षेत्र परियोजना के लिए पूर्ण कोरा न्यूनतम क्षेत्र है;

(ग) क्या किसी अन्य वैकल्पिक स्थान पर भूमि का अर्जन करने पर विचार किया गया है और उसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है;

(घ) ऐसी कोई अप्रयुक्त भूमि नहीं है जो उस क्षेत्र में पहले अर्जित की गई हो;

(ङ) पूर्व में अर्जित और अप्रयुक्त पड़ी भूमि, यदि कोई हो ऐसे लोक प्रयोजन के लिए उपयोग की गई है, और इनके संबंध में सिफारिशें करेगा;

(च) आपत्तियों पर सिफारिशें;

(छ) कार्रवाहियों के अभिलेख;

(ज) जिन मामलों में सामाजिक समाघात मूल्यांकन से छूट दे दी गई है उनमें भूमि अर्जन की अनुमानित लागत;

7. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार करना तथा जन सुनवाई:-

(1) धारा 11 की उप धारा (1) के अधीन प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन पर प्रशासक ऐसी प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर प्रभावित कुटुम्बों का सर्वेक्षण का संचालन कराएगा और उनकी जन गणना के कार्य का उपक्रम करेगा।

(2) प्रशासक द्वारा इस प्रकार प्रभावित कुटुम्बों के लिए संचालित किए गए सर्वेक्षण और उनकी जनगणना के प्रयोजन के लिए, वह निम्नलिखित ध्यान रखेगा:-

(क) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट;

(ख) पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम जैसा भी मामलों के अभिलेख, और अन्य सरकारी अभिलेख।

(3) प्रशासक उस डाटा का प्रभावित कुटुम्बों के द्वार पर जाकर और प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे की परियोजनाओं के मामले में स्थल दौरों द्वारा सत्यापन करेगा।

(4) प्रशासक द्वारा तैयार प्रारूप पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में धारा 16 की उपधारा (2) में उल्लिखित विवरणों के अलावा, निम्नलिखित विहित होगा:-

(क) प्रभावित कुटुम्बों की उसके सदस्यों की आधार संख्या के साथ सूची, यदि उपलब्ध हो;

(ख) विस्थापित कुटुम्बों की उसके सदस्यों की आधार संख्या के साथ सूची, यदि उपलब्ध हो;

(ग) प्रभावित क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे की सूची;

(घ) प्रभावित क्षेत्र में भू-जोतों की सूची;

(ङ) वृक्षों, भवनों, भूमि या भवन, जिनका अर्जन किया जान है, से संबद्ध अन्य अचल संपत्ति या परिसंपत्तियों की सूची;

(च) प्रभावित क्षेत्र में व्यापार या कारोबार की सूची;

(छ) प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों, विकलांगों या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सूची;

IndiaCode

परन्तु यदि व्यक्ति के पास आधार नम्बर नहीं है तो उसे इस प्रकार नामांकित किए जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। परन्तु वह ऐसे नामांकन के लिए अपनी सहमति देता है और प्रभावित परिवार होने का दावा करता है उसे सहमति-आधारित आधार अधिप्रमाणन सेवा प्रदान करना सुकर बनायेगा।

(5) प्रशासक, प्रभावित क्षेत्र में प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का निम्नलिखित रीति से प्रकाशन के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करेगा, अर्थात:-

(क) शासकीय राजपत्र में।

(ख) ऐसे क्षेत्र के परिक्षेत्र में परिचालित दो दैनिक समाचारपत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा;

परन्तु ऐसे स्थान पर जहां ऐसा माध्यम उपलब्ध नहीं, वहां वह खंड लागू नहीं होगा।

(ग) पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम, जैसा भी मामला हो, में तथा कलक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट और तहसील/तालुका/उपखंड/ब्लॉक (जैसा भी मामला हो) के कार्यालयों में स्थानीय भाषा में;

(घ) समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है;

(6) प्रशासक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण और सहमति) नियम, 2014 तारीख 08 अगस्त, 2014 के नियम 8 के उपबंधों के अनुसरण में तीन सप्ताह का अग्रिम नोटिस देकर उक्त नोटिस में उल्लिखित तारीख, समय और स्थान पर प्रभावित क्षेत्रों में जन सुनवाई आयोजित करेगा।

8. अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार्वजिनक किया जाना :- आयुक्त, अनुमोदित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा करके प्रभावित क्षेत्रों में प्रकाशित करेगा।

9. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति परिवारों के लिए विकास योजना: (1) अर्जक निकाय की ओर से भूमि अर्जन, जिसमें धारा 41 में निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति कुटुम्बों का अस्वैच्छिक विस्थापन सम्मिलित हो, की परियोजना के मामलों में योजना **प्ररूप - IV** के अनुसार तैयार की जाएगी।

अध्याय - IV
घोषणा और पंचाट

10. अर्जन के लिए घोषणा का प्रकाशन:- धारा 19 की उप धारा (1) में निर्दिष्ट घोषणा **प्ररूप - V** में प्रभावित क्षेत्र में सहजदृश्य स्थानों पर स्थानीय भाषा में चस्पाकर प्रकाशित की जाएगी।

11. भूमि अर्जन पंचाट :- धारा 23 में निर्दिष्ट भूमि अर्जन पंचाट **प्ररूप - VI** और **प्ररूप - VII** में बनाया जाएगा।

12. प्रभावित परिवारों के मत्स्य पालन के अधिकार:- अधिनियम की दूसरी अनुसूची की क्रम संख्या 9 के सामने स्तंभ (3) में निर्दिष्ट मत्स्य पालन अधिकारों को सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग या सरकार के अन्य किसी भी संबंधित विभाग के परामर्श से अनुज्ञात किया जाएगा।

13. अधिक रकम की वसूली:- धारा 33 की उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट अधिक रकम का संदाय करने में किसी सभी चूक या मना करने की स्थिति में उसे राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और वसूली की ऐसी कार्रवाहियां उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आरंभ की जाएगी जिस तारीख को अधिक धनराशि का संदाय किया हुआ पाया गया हो।

14. पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ की वसूली:- किसी मिथ्या दावे या कपटपूर्ण साधनों से लिए गए किसी भी पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लाभ की वसूली राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) के उपबंधों के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जाएगी।

15. धारा 2 की उप धारा (3) के अधीन भूमि के क्षेत्र पर सीमा:- धारा 2 की उपधारा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट भूमि के क्षेत्र पर सीमा शहरी क्षेत्रों में (20) हेक्टेयर और ग्रामीण क्षेत्रों में चालीस (40) हेक्टेयर होगी।

अध्याय V

प्रशासक और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति और राष्ट्रीय मानीटरी समिति

16. प्रशासक की शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारी:- प्रशासक की निम्नलिखित शक्तियां, कर्तव्य और जिम्मेदारियां होंगी, अर्थात् :-

(क) नियम 7 के अनुसरण में सर्वेक्षण संचालित करना और प्रभावित परिवारों की जनगणना करना और प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब द्वारा रखे गये पशुधन का ब्यौरा तैयार करना;

(ख) प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्रारूप स्कीम कहा गया है;

(ग) प्रभावित क्षेत्रों में नियम 7 के उपनियम (5) के अनुसरण में प्रारूप स्कीम का व्यापक प्रचार करना;

(घ) प्रारूप स्कीम को संबंधित व्यक्तियों तथा प्राधिकारियों को उपलब्ध करवाना;

(ङ) प्रारूप स्कीम पर जन सुनवाई आयोजित करना और संचालित करना;

(च) कलेक्टर को प्रारूप स्कीम प्रस्तुत करना;

(छ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम को निष्पादित और मानीटर करना;

(ज) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के कार्यान्वयन उपरांत उसकी सामाजिक लेखा परीक्षा में आयुक्त की सहायता करना; और

(झ) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में किए जाने हेतु अपेक्षित अन्य कोई भी कार्य।

17. परियोजना स्तर पर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन समिति:- (1) धारा 45 के अधीन गठित पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन समिति निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करेगी:

(क) समिति अपनी पहली बैठक तब करेगी जब प्रशासक द्वारा प्रारूप पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर ली गई हो।

(ख) समिति प्रारूप स्कीम पर विचार विमर्श करेगी तथा सुझाव देगी और सिफारिशें करेगी और तत्पश्चात समिति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक मास में एक बार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रगति की समीक्षा और मानीटरी करेगी।

(ग) कार्यान्वयन उपरांत सामाजिक लेखा परीक्षा करने के प्रयोजन से समिति तीन मास में एक बार बैठक करेगी।

(घ) समिति प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सकती है और यदि अपेक्षित हो तो प्रभावित कुटुम्बों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है और पुनर्वासन प्रक्रिया की मानीटरी करने के लिए पुनर्वासन क्षेत्र का दौरा भी कर सकती है।

(2) समुचित सरकार द्वारा उपबंधित अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारिवृन्द समिति के सदस्य संयोजक की सहायता करेंगे।

(3) समिति के गैर-सरकारी सदस्यों, यदि कोई हो, को केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को देय दर से यात्रा और दैनिक भत्ता मिलेगा।

18. प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन और भत्ते:-

(1) प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी को देय वेतन एंव भत्ते तथा उसके सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित और दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के अन्वेक्षण की पद्धति) वही होंगी जो किसी जिला न्यायाधीश के लिए लागू हैं।

(2) प्राधिकरण के रजिस्ट्रार को देय वेतन एंव भत्ते तथा उसके सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित) वहीं होंगी जो केन्द्रीय सरकार के उप सचिव स्तर के अधिकारी के लिए लागू हैं।

(3) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन एंव भत्ते तथा उनके सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें (पेंशन, उपदान और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ सहित) वहीं होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य रेंक के अधिकारियों के लिए लागू हैं।

19. राष्ट्रीय मानीटरी समिति की प्रक्रियां:- (1) धारा 48 के अधीन गठित राष्ट्रीय मानीटरी समिति, अधिनियम की धारा 18 के अधीन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त द्वारा उक्त अनुमोदित स्कीमों के प्रकाशन के दो माह के भीतर परियोजनाओं के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरी करेगी और तत्पश्चात समिति की बैठकें पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरी करने के लिए तीन माह में एक बार आयोजित की जाएंगी।

(2) उप नियम (1) के प्रयोजनों से, समिति-

(क) पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के अभिलेख और सूचना मांग सकती है।

(ख) अर्जक निकाय को आवश्यकता पड़ने पर विचार-विमर्श के लिए बुला सकती है।

(ग) इसके निर्णय के कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट मांग सकती है।

(3) राष्ट्रीय मानीटरी समिति से संम्बद्ध गैर-सरकारी विशेषज्ञों को केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को देय दर से यात्रा और दैनिक भत्ते का संदाय किया जाएगा।

अध्याय VI

प्रकीर्ण

20. उपयोग नहीं की गई भूमि को लौटाने की रीति :- (1) जब अधिनियम के अधीन अर्जित कोई भी भूमि धारा 101 में निर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि तक अप्रयुक्त रहती है तो उसे उस अर्जक निकाय, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई थी, को नोटिस जारी करके और उसका पक्ष सुनने का अवसर देकर तथा इस प्रयोजनार्थ इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके यथास्थिति मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या भूमि बैंक को लौटा दिया जाएगा।

(2) कलेक्टर द्वारा उपनियम 4 के अधीन आदेश पारित करने के पश्चात, कलेक्टर अर्जित भूमि को मूल स्वामी या स्वामियों या उनके विधिक वारिसों, जैसा भी मामला हो, या भूमि बैंक को लौटाने के प्रयोजन से उस भूमि का कब्जा लेगा।

(3) यदि भूमि मूल स्वामी अथवा स्वामियों अथवा उनके विधिक वारिसों, जैसा भी मामला हो, को लौटायी जा रही हो तो भूमि का कब्जा लेने से पहले तोषण को छोड़कर संदत किया गया और मुआवजा लौटाया जाएगा और कलेक्टर के कार्यालय के उसके द्वारा विनिर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट खातें में निक्षेपित किया जाएगा। इस प्रकार वापस की गई रकम का उपयोग खेती योग्य बंजर भूमि के विकास के लिए किया जाएगा

(4) यदि अर्जक निकाय उक्त भूमि का कब्जा कलेक्टर को नहीं सौंपता है, तो कलेक्टर, अर्जक निकाय को पूर्व नोटिस देकर कब्जा लेने के लिए संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की सहायता लेने के लिए सक्षम होगा।

प्ररूप - I

(नियम 3 देखें)

भूमि अर्जन हेतु अनुरोध

प्रेषक:
अर्जक निकाय का नाम और/या पदनाम

सेवा में,
1. जिला कलेक्टर
जिला
2. आयुक्त, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन
.....

..... हेक्टेयर भूमि अर्जित किए जाने का अनुरोध है जिसके लिए परियोजना/प्रयोजन और इसका ब्यौरा, अर्जित की जाने वाली भूमि को दर्शाते हुए संयुक्त नक्शे (मापने के लिए) की तीन प्रतियों के साथ उपाबंध I, II, III प्रस्तुत हैं।

परियोजना प्रभावी रूप से विकसित होने अवधि वर्ष औरमहीने होगी। (केवल तभी लागू जब विकास अवधि 5 वर्ष से अधिक हो)

सामाजिक समाघात मूल्यांकन (एसआईए) की लागत सहित अर्जन की अपेक्षित लागत उपलब्ध है और इसे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों में यथा प्रदत्त आपके द्वारा कभी भी मांगे जाने पर आपके कार्यालय में जमा कर दी जाएगी। आगे की सभी आवश्यक सूचना और सहायता आपके द्वारा नियत/निर्धारित तारीख/समय पर प्रदान करा दी जाएगी।

भवदीय,

अर्जक निकाय

उपाबंध - I

<u>परियोजना का नाम:-</u>

(1) गांव का नाम

(2) तालुक/उप खंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) का नाम

(3) नगर पालिका/नगर निगम का नाम

(4) जिले का नाम

(5) अर्जित की जाने वाली सर्वे संख्या

(6) अनुरोध के अधीन कुल क्षेत्र (हे0/वर्ग मीटर में)

(7) अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाएं-

पूर्व-

पश्चिम-

उत्तर-

दक्षिण-

(8) कृषि और सिंचित बहु-फसली भूमि का क्षेत्र
(9) कृषि एव सिंचित बहु-फसली भूमि को सम्मिलित करने के कारण

.....

.....

.....

(10) भवनों और अन्य संरचनाओं, टैंको, कुओं, वृक्षों आदि का ब्यौरा;
(11) अर्जन हेतु धार्मिक भवनों शमशान घाटों या मकबरा, आदि, यदि कोई हो, को सम्मिलित करने के कारण।

अर्जक निकाय

उपाबंध - II

<u>परियोजना का नाम:-</u>

1. विभाग या सरकार या कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण संस्था:
2. अर्जक निकाय का शासकीय पदनाम:-
3. अर्जन का प्रयोजन (विस्तृत रूप से) :-

IndiaCode

4. क्या सरकार या विभाग द्वारा अधिनियम की धारा 2(1) के अधीन अपने उपयोग, धारण और नियंत्रण के लिए अनुरोध किया गया है ?

5. क्या अधिनियम की धारा 2(1) (क) से 2 (1) (च) के अधीन अनुरोध दायर किया गया है ?

6. क्या अधिनियम की धारा 2(2) (क) या (ख) के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है ?

7. अधिनियम की धारा 3(ग) (i) से (vi) के अधीन उल्लिखित के अनुसार कितने कुटुम्ब प्रभावित हैं ?

8. क्या अधिनियम की धारा - 40 के अधीन अनुरोध फाइल किया गया है ?

9. यदि हां, तो किस आधार पर ?

10. क्या परियोजना के लिए भूमि को निजी बातचीत के द्वारा स्वामियों से अंशत: क्रय किया गया है ?

11. यदि हां, तो किस तारीख को एवं किन निबंधनों पर ? (कृपया बातचीत के निबंधनों का संक्षिप्त उल्लेख करें तथा इसकी प्रतिलिप संलग्न करें)।

12. सरकार या विभाग या स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के लिए प्रशासनिक अनुमोदन निर्गत होने की तारीख (प्रति संलग्न करें)

13. यदि अनुरोध, सरकार या विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण के मामले में परियोजना के प्रशासनिक अनुमादेन के छह सप्ताह के पश्चात दायर किया गया है, तो अनुरोध दायर करने में हुए विलम्ब का कारण।

14. जमीन पर कब्जा कब तक अपेक्षित है ?

IndiaCode

अर्जक निकाय

उपाबंध - III

अर्जक निकायों द्वारा भूमि के भू-अर्जन हेतु अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

<u>परियोजना का नाम</u>

(1) प्रमाणित किया जाता है कि वह परियोजना जिसके लिए भूमि अर्जित किए जाने की मांग की गई है उस पर अधिनियम के तहत अर्जन के लिए तारीख के विभागीय पत्र के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। (पत्र की प्रति संलग्न है)। (यदि लागू हो)

(2) परियोजना की अनुमानित लागत रूपये है और आवश्यक बजट की मंजूरी दे दी गई और अर्जन के लिए निधियां उपलब्ध हैं।

(3) अर्जक निकाय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकारी/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय और जब कभी कलेक्टर द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, डिक्री के मामले में संपूर्ण रकम का संदाय करने की वचनबद्धता प्रकट करता है।

अर्जक निकाय

प्ररूप - II

[नियम 5 (i) देखें]

प्रारंभिक अधिसूचना

सं0 तारीख.....

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिएग्राम.....तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लाक (यथा लागू).....जिले में कुल हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विविरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी/ प्रारम्भिक अन्वेषण किया गया था। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारम्भिक जांच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है):-

.....

भूमि अर्जन के कारण कुल..... (संख्या) कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है । इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिए गए हैं।

---------- को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अत: जिले तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लाक (यथा लागू).....के ग्राम में उक्त परियोजना के लिए हेक्टेयर माप के एक भूखंड अर्थात मानक माप के भूखंड , जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है:

क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हेक्टेयर मे)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं			
						उ.	द.	पू.	प.

वृक्ष	
किस्म	संख्या

संरचनाएं	
प्रकार	प्लिथं एरिया

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

IndiaCode

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

चूंकि धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिए भूमि की तत्काल अपेक्षा है और इसके लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त है, इसलिए सं.आ. संख्या तारीख..... के द्वारा सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन न करने का विनिश्चय किया गया है। (यदि लागू न हो तो हटा दिया जाए)
संलग्नक: यथोक्त

स्थान:

तारीख: **कलेक्टर**

प्ररूप - III

(नियम 6 देखें)

कलेक्टर द्वारा नोटिस

संख्यांक..... तारीख.....

यह सूचना दी जाती है कि जिले में तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू) ग्राम में स्थित और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि की आवश्यकता है या तारीख राजपत्र (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) के भाग 1 के पृष्ठ..... में कलेक्टर द्वारा प्रकाशित भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) के अधीन अधिसूचना के अनुसार आवश्यकता की संभावना है। तदनुसार, भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के बारे में अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, उपर्युक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर लिखित रूप में दाखिल किया जाना अपेक्षित है। आक्षेप संबंधी कोई विवरण जो नियत तारीख के पश्चात प्राप्त होता है या जो भेजने वाले के भूमि के हित की प्रकृति को स्पष्ट रूप से नहीं बताता, तो वह संक्षेपत: अस्वीकार अस्वीकार करने हेतु दायी होगा। नियत तारीख, यदि कोई हो, के भीतर प्राप्त आक्षेपों की जांच को बजे की जाएगी जब आक्षेपकार्ताओं को व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी और अपने आक्षेपों के समर्थन में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

अनुसूची

क्र.सं.	सर्वेक्षण सं.	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमाएं उ.द.पू.प.	पेड़ों संरचनाओं आदि, यदि कोई हो का, ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थान:

तारीख: **जिला कलेक्टर**

IndiaCode

प्ररूप - IV

[नियम 9 देखें]

भू अर्जन के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के अधीन विकासात्मक योजना का रूपविधान।

क्रम सं०	दावेदार/कुटुम्ब के मुखिया का नाम	स्थायी पता	हकदारी (अधिनियम की धारा 31, 41 और दूसरी अनुसूची देखें)	टिप्पणियां
			1. कृषि, बागवानी, पशु चरागाह क्षेत्र के लिए प्रत्येक कुटुम्ब को 0.4 हेक्टेयर तक भूमि दी जायेगी। 2. प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिए आवासीय इकाई, पेय जल सुविधाओं, शौचालय इत्यादि का उपबंध। 3. प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार की वित्तीय सहायता एक बार दी जायेगी। 4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या/और कोई अन्य कार्य उपलब्ध कराने वाली सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया जायेगा। 5. प्रभावित कुटुम्ब के युवकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता का विकास। 6. विस्थापित कुटुम्ब के लिए एक वर्ष के लिए प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में तीन हजार रू0 के समतुल्य पंचाट की तारीख से मंजूर किया जायेगा। 7. पशुशाला एवं छोटी दुकान के लिए कम से कम पचीस हजार रूपये। 8. अनुसूचित जाति के प्रभावित सदस्यों के लिए गैर-वन भू क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर-इमारती वन उत्पाद संसाधन। 9. मछली पकड़ने के अधिकार।	

(क) देय भू-अधिकार, लेकिन निपटान नहीं किया गया, के ब्यौरें

(ख) अनुसूचित जनजाति साथ ही साथ अनुसूचित जातियों को अन्य संक्रामित भूमि पर उनके भू-अधिकार के प्रतयास्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाकर करने की कार्यवाही का विवरण।

(ग) अधिनियम की धारा 41(5) के अधीन जनजातीय समुदायों साथ ही साथ अनुसूचित जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के भीतर गैर वन भू क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर इमारती वन उत्पाद संसाधनों के विकास के लिए कार्यक्रम।

प्ररूप - V

[नियम 10 देखें]

सचिव, राजस्व विभाग

सं. तारीख.....

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजनार्थ ग्राम..... तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू)जिला में कुलहेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, अर्थात,

इसलिए घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो..... हेक्टेयर है जो ग्राम..... तालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू)..... जिला..... में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	**सर्वेक्षण संख्या**	**स्वामित्व का प्रकार**	**भूमि का प्रकार**	**अर्जन के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर में)**	**हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता**	**सीमाएं**			
						उ.	**द.**	**पू.**	**प.**

वृक्ष	
किस्म	**संख्या**

संरचना	
प्रकार	**कुर्सी एरिया**

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या..... है जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिंहित किए गए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

ग्रामतालुक/उपखंड/तहसील/ब्लॉक (यथा लागू)..... जिलाक्षेत्र.....(हेक्टेयर में) ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

जिला भूमि अर्जन अधिकारी एवं के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार संलग्न हैं।

संलग्नक: यथोक्त

सचिव, राजस्व विभाग

IndiaCode

प्ररूप - VI

(नियम 12 एवं धारा-23 और 30 देखें)

भू-अर्जन पंचाट

भू-अर्जन वाद संख्या:

	परियोजना का नाम						
	घोषणा की संख्या और तारीख जिसके अधीन भूमि का अर्जन किया जाना है						
	भूमि की अवस्थिति और हेक्टेयर में उसका विस्तार, सर्वेक्षण संबंधी मानचित्र में क्षेत्र प्लाटों की संख्या, मील योजना, यदि कोई हो, की संख्या सहित ग्राम जिसमें भूमि अवस्थित है।						
	भूमि का विवरण अर्थात क्या परती भूमि, खेती की, वास, इत्यादि है। यदि भूमि खेती की है तो कैसे खेती की है? सिंचाई का श्रोत						
	भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के नाम और उनकी अपनी-अपनी हितबद्धता की प्रकृति						
	ऐसे व्यक्तियों के आधार संख्या						
	भूमि के लिए स्वीकृत रकम, वृक्ष रहित, भवन रहित इत्यादि, यदि कोई हो।						
	भूमि में पट्टेदारी के हित में ऐसी स्वीकृत रकम में से प्रतिकर के रूप में देय रकम						
	परिकलन का आधार						
	वृक्ष, आवास या कोई भी अन्य अचल सम्पत्ति के लिए स्वीकृत रकम						
	फसलों के लिए स्वीकृत रकम						
	धारा 30(3) के अधीन बाजार मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिकर						
	2013 के अधिनियम 30 की धारा 28 के अधीन नुकसानी						
	धारा 30 (1) के अधीन मुआवजा						
	कुल रकमें						
	सरकारी राजस्व या संदत पूंजीगत मूल्य के उपशमन का विवरण जिस तारीख से उपशमन प्रभावी होता हो ।						
	प्रतिकर की रकम का प्रभाजन (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)	**क्र.सं**	**दावेदारों के नाम**	**आधार संख्या**	**प्रत्येक को देय रकम**	**बैंक खाता सं.**	**टिप्पणियां**
	2013 के अधिनियम 30 की 38 (1) एवं धारा 40(1) के अधीन भूमि को जिस तारीख को कब्जे में लिया गया						

यदि कब्जा धारा 40(1) के अधीन लिया गया है तो ऐसा प्राधिकार देने वाले सरकार के आदेश की संख्या एवं तारीख।

तारीख: **हस्ताक्षर**

* उन सभी मामलों में जिनमें आधार संख्या उपलब्ध नहीं है या दावेदार के बैंक खाते में आधार नहीं जोड़ा गया है, एकत्र किए गए बैंक खाते के ब्यौरें।

IndiaCode

प्ररूप - VII

(नियम 13 देखें)

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पंचाट

भू-अर्जन वाद संख्या:

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="8">परियोजना का नाम</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="8">घोषणा सं. एवं तारीख जिसके अधीन भूमि का अर्जन किया जाना हो</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="8">भूमि की अवस्थिति और विस्तार – हेक्टेयर में, सर्वेक्षण मानचित्र पर क्षेत्र खंडों की संख्या, वह गांव जहां मील योजना के साथ, यदि कोई हो,</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="8">भवन इकाईयों का विवरण, परिवहन खर्च, आवास भत्ता, वार्षिकी, रोजगार, जीवन निर्वाह अनुदान, पशुशाला, छोटी-मोटी दुकान, एकमुश्त पुनर्वासन भत्ता इत्यादि।</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="8">भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के नाम और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए अपने-अपने दावों की प्रकृति।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्रतिकर की राशि का प्रविभाजन क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)</td><td>क्र.सं.</td><td>दावेदारों/ प्रभावित परिवारों के नाम</td><td>पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की हकदारियां</td><td>बैंक खाता संख्या</td><td>प्रत्येक को देय रकम</td><td>गैर वित्तीय हकदारी</td><td>टिप्पणी</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>(i) आबंटित किए जाने वाले आवास
(ii) आवंटित की जाने वाली भूमि
(iii) विकसित भूमि के लिए प्रस्थापना
(iv) वार्षिकी/नियोजन
(v) निर्वाह अनुदान ,
(vi) परिवहन लागतआवास भत्ता ,
(vii) पशुशालामोटी दुकान-छोटी ,
(viii) शिल्पी, छोटे व्यापारियों और कुछ अन्यों को एकमुश्त अनुदान
(ix) मत्स्य पालन अधिकार
(x) एकमुश्त पुनर्वासन भत्ता
(xi) स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="8">जिस तारीख को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हकदारियां प्रभावित कुटुम्ब को दी गयी ।</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="8">परिकलन का आधार</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="8">वृक्ष, आवास या किसी भी अन्य अचल सम्पत्ति के लिए स्वीकृत रकम।</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="8">फसलों के लिए स्वीकृत रकम।</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="8">धारा 30(3) के अधीन बाजार मूल्य पर अतिरिक्त प्रतिकर</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="8">2013 के अधिनियम 30 की धारा 28 के अधीन नुकसान</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="8">धारा 30 (1) के अधीन मुआवजा</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="8">कुल रकमें</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="8">सरकारी राजस्व या पूंजी कृत मूल्य चुकता के उपशमन का विवरण जिस तारीख से उपशमन प्रभावी होता हो ।</td></tr>
<tr><td></td><td>प्रतिकर की राशि का प्रविभाजन
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)</td><td>क्र.सं.</td><td>दावेदारों के नाम</td><td>आधार संख्या</td><td>प्रत्येक को देय रकम</td><td>बैंक खाता सं.</td><td colspan="2">टिप्पणियां</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="8">अधिनियम 30 / 2013 की 38 (1) एवं धारा 40(1) के अधीन भूमि को जिस तारीख को कब्जे में लिया गया</td></tr>
</table>

यदि कब्जा धारा 40(1) के अधीन लिया गया है तो ऐसा प्राधिकार देने वाले सरकार के आदेश की संख्या एवं तारीख।

तारीख: **हस्ताक्षर**

* उन सभी मामलों में जिनमें आधार संख्या उपलब्ध नहीं है या दावेदार के बैंक खाते में आधार नहीं जोड़ा गया है, एकत्र किए गए बैंक खाते के ब्यौरें।

[फा. सं. 13011/01/2015-एल आर डी]

हुकम सिंह मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2015.

G.S.R. 985(E).— Whereas certain draft rules, namely the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement, Development Plan) Rules, 2015 were published as required under section 112 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development (Department of Land Resources), number G.S.R. 547(E), dated the 8th July, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 8th July, 2015 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 8th July, 2015;

And whereas, the objections and the suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (b), (e), (f), (g), (h), (i) ,(j), (k), (l), (m), (o), (p), (r), (s), (t) and (u) of sub-section (2) of section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER - I

General

1. Short title, applicability and commencement.– (1) These rules may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2015.

(2) They shall be applicable in cases of land acquisition where the Central Government is the appropriate Government as per the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013).

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Aadhaar number" means a 12-digit unique identification number generated and issued to an individual by the Unique Identification Authority of India (UIDAI) after de-duplication of demographic and biometric information pertaining to that individual;

(b) "Act" means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013);

(c) "consent-based Aadhaar authentication service" means electronic authentication carried out by Unique Identification Authority of India (UIDAI), or agencies appointed by it, after matching the biometric information of an individual at his request or with his consent, with the information maintained by UIDAI in its own central servers, and includes a 'Yes/No' response, or a response containing the demographic information and photograph of that individual;

(d) "section" means section of the Act;

(e) words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

Request for Land Acquisition

3. Request for acquisition of land.– (1) After completion of Social Impact Assessment, wherever applicable and receipt of the recommendations of the Expert Group, if it appears to the appropriate Government that land in any area is required or likely to be required for any public purpose, the Requiring Body or its authorised representative, for whom land is to be acquired shall file the request to the concerned Collector in FORM-I along with the following documents, namely:-

(i) detailed project report;

(ii) sanction letter of project;

(iii) three copies of Record of Rights and revenue maps of the affected areas;

(iv) information about the classification of land that is, irrigated multi-cropped, single cropped, wasteland, etc;

(v) any other information required by the Collector.

(2) A copy of the request filed with the Collector under sub-rule (1) shall be submitted to the Commissioner.

(3) Where the Requiring Body is the Government, the request shall be filed by the Secretary of the concerned Department and in case of Public Sector Undertaking, by Secretary of the Department dealing with such undertaking.

4. Action by Collector on receiving request.– (1) (a) The Collector, on receiving the request under sub-rule (1) of rule 3, shall constitute a committee of officers consisting of officers from Revenue Department, Agriculture Department, Forest Department, Water Resources Department, Building Department or any other Department as the Collector deems necessary to make a field visit along with the representatives of the Requiring Body to make a preliminary enquiry regarding –

(i) availability of waste or arid land;

(ii) correctness of the particulars furnished in the request under sub-rule (1) of rule 3;

(iii) bare minimum land required for the project;

(iv) whether the request is consistent with the provisions of the Act,

and submit a report to the Collector.

(b) The report of the committee referred to in clause (a) shall include the following, namely:—

(i) that the proposed acquisition of land serves public purpose;

(ii) that the extent of land proposed for acquisition is the absolute bare-minimum needed for the project;

(iii) that the acquisition of land at an alternate place has been considered and found not feasible;

(iv) that there is no unutilised land which has been previously acquired in the area;

(v) that the land, if any, acquired earlier and remained unutilised, may be used for such public purpose;

(vi) the recommendations of the committee.

(2) (a) If the Collector, on the basis of the report of the committee referred to in sub-rule (1), other information available with him and instructions issued by the Central Government in this regard, is satisfied that the request is consistent with the provisions of the Act, he shall make a preliminary estimate of the cost of the acquisition as defined in clause (i) of section 3.

(b) The administrative cost under item (A) of sub-clause (vi) of clause (i) of section 3 shall be at the rate of five per cent of the cost of compensation as provided in sub-clause (i) of clause (i) of section 3 subject to a maximum of five crore rupees.

(c) The Collector shall inform the Requiring Body to deposit the estimated cost of acquisition or part thereof as specified by the Collector in the designated account of the office of the Collector before the publication of declaration under sub-section (2) of section 19 within such period as may be specified by him and the Requiring Body shall deposit the same within the said period.

(3) The Requiring Body shall deposit the balance cost of acquisition after final estimation is prepared by the Collector and in cases where excess amount is awarded by the Authority or Court, the same shall be deposited as and when so required.

CHAPTER III

Preliminary Notification for Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Scheme

5. Publication of preliminary notification.– (1) The preliminary notification referred to in section 11 shall be published in FORM II.

(2) A copy of the preliminary notification mentioned in section 11 shall be affixed at conspicuous places in the affected areas and shall also be informed to the public by beat of drum**.**

(3) After publication of the preliminary notification under section 11, the Collector shall ensure completion of the exercise of updating land records as specified here under: –

(a) delete the names of deceased persons;

(b) enter the names of the legal heirs of the deceased persons;

(c) enter the registered transactions of the rights in land such as sale, gift, partition, etc.;

(d) make all entries of the mortgages in the land records;

(e) delete the entries of mortgages in case the lending agency issues letter towards full payment of loans taken through registered reconveyance of mortgaged property deeds;

(f) make necessary entries in respect of all prevalent forest laws;

(g) make necessary entries in case of the Government land;

(h) make necessary entries in respect of assets on the land like buildings, trees, wells, etc.;

(i) make necessary entries of share-croppers in the land;

(j) make necessary entries of crops grown or sown and the area of such crops; and

(k) any other relevant entries.

6. Hearing of objections.- (1) The Collector shall issue a notice for inviting objections in FORM III and after hearing all objections and making enquiry as provided under sub-section (2) of section 15 shall submit a report along with his recommendations on the objections to the appropriate Government for decision.

(2) The report of the Collector shall include the following:-

(a) assessment as to whether the proposed acquisition serves public purpose;

(b) whether the extent of land proposed for acquisition is the absolute bare-minimum extent needed for the project;

(c) whether land acquisition at an alternate place has been considered and found not feasible;

(d) there is no unutilised land which has been previously acquired in the area;

(e) the land, if any, acquired earlier and remained unutilised, is used for such public purpose and recommendations in respect thereof;

(f) recommendations on the objections;

(g) record of proceedings;

(h) approximate cost of land acquisition in cases where Social Impact Assessment has been exempted.

7. Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme and public hearing.– (1) Upon publication of the preliminary notification under sub-section (1) of section 11, the Administrator shall conduct a survey and undertake a census of the affected families within a period of two months from the date of publication of such preliminary notification.

IndiaCode

(2) For the purpose of the survey to be conducted and the census of the affected families to be undertaken by the Administrator, he shall take into account –

(a) the Social Impact Assessment report;

(b) the records of the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and other Government records.

(3) The Administrator shall get the data verified by door to door visit of the affected families and by site visits in case of infrastructure projects in the affected area.

(4) The draft Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared by the Administrator shall, in addition to the particulars mentioned in the sub-section (2) of section 16, contain the following, namely:–

(a) list of affected families with Aadhaar number of its members, if available;

(b) list of displaced families with Aadhaar number of its members, if available;

(c) list of infrastructure in the affected area;

(d) list of land holdings in the affected area;

(e) list of trees, buildings, other immovable property or assets attached to the land or building which are to be acquired;

(f) list of trades or businesses in the affected area;

(g) list of persons belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the handicapped or physically challenged persons in the affected area:

Provided that in case a person does not have an Aadhaar number, efforts may be made to get him so enrolled, provided he gives his consent for such enrolment and the claims of the affected families may be facilitated by carrying out consent-based Aadhaar authentication service.

IndiaCode

(5) The Administrator shall give wide publicity to the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme in the affected area through publication in the following manner, namely:-

(a) in the Official Gazette;

(b) in two daily newspapers being circulated in the locality of such area of which one shall be in the regional language:

Provided that in a place where such media is not available, then this clause shall not apply;

(c) in the local language in the Panchayat, Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate and the Tehsil, Taluk, Sub-division or Block, as the case may be;

(d) uploaded on the website of the appropriate Government.

(6) The Administrator or an officer authorised by him shall conduct a public hearing in the affected areas by issuing advance notice of three weeks on the date, time and venue mentioned in the said notice in accordance with the provisions of rule 8 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2014, dated the 8th August, 2014.

8. Publication of the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme.– The Commissioner shall publish the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme by affixing it in conspicuous places in the affected area.

9. Development Plan for Scheduled Castes or Scheduled Tribes families.– The Development Plan, in cases of a project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which involves involuntary displacement of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes families, referred to in section 41 shall be prepared in FORM IV.

CHAPTER IV

Declaration and Award

10. Publication of declaration for acquisition.– The declaration referred to in sub-section (1) of section 19 shall be published by affixing a copy thereof in local language at conspicuous places in the affected areas in FORM V.

11. Land acquisition award.– The land acquisition award referred to in section 23 shall be made in FORM VI and FORM VII.

12. Fishing rights of affected families.– The fishing rights referred to in column (3) against serial number 9 of the Second Schedule to the Act, shall be allowed by the Fisheries Department in consultation with the Irrigation Department, Revenue Department or any other concerned Department of the Government.

13. Recovery of excess amount.– In the case of any default or refusal to pay the excess amount as referred to in sub-section (3) of section 33, the same shall be recovered as arrears of land revenue under the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890) and such recovery proceedings shall be initiated within a period of three years from the date on which the excess amount is found to have been paid.

14. Recovery of rehabilitation and resettlement benefit.– Any rehabilitation and resettlement benefit availed of by making a false claim or through fraudulent means shall be recovered as arrears of land revenue under the provisions of the Revenue Recovery Act, 1890 (1 of 1890).

15. Limits of extent of land under sub-section (3) of section 2.– The limits of extent of land referred to in clause (a) of sub-section (3) of section 2 shall be twenty hectares in urban areas and forty hectares in rural areas.

IndiaCode

CHAPTER V

Administrator, Rehabilitation and Resettlement Committee and National Monitoring Committee

16. Powers, duties and responsibilities of Administrator.– The Administrator shall have the following powers, duties and responsibilities, namely:-

(a) to conduct a survey and undertake a census of the affected families and details of livestock possessed by each affected family in accordance with rule 7;

(b) to prepare a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme (hereinafter referred to as the draft Scheme);

(c) to give wide publicity to the draft Scheme in accordance with sub-rule (5) of rule 7 in the affected areas;

(d) to make the draft Scheme available to the concerned persons and authorities;

(e) to organise and conduct public hearings on the draft Scheme;

(f) to submit the draft Scheme to the Collector;

(g) to execute and monitor the Rehabilitation and Resettlement scheme;

(h) to assist the Commissioner in post-implementation social audit of Rehabilitation and Resettlement Scheme; and

(i) any other work required to be done for Rehabilitation and Resettlement.

17. Rehabilitation and Resettlement Committee at Project Level.– (1) The Rehabilitation and Resettlement Committee constituted under section 45 shall follow the following procedures:–

(a) the Committee shall have its first meeting when a draft Scheme has been prepared by the Administrator;

(b) the Committee shall discuss the draft Scheme and make suggestions and recommendations and thereafter, the Committee shall meet to review and monitor the progress of rehabilitation and resettlement once in a month till the process of rehabilitation and resettlement is completed;

(c) for the purpose of carrying out the post-implementation social audits, the Committee shall meet once in three months;

(d) the Committee may visit the affected area and discuss with the affected families if it so requires and also visit the resettlement area to monitor the resettlement process.

(2) The Member-Convener of the Committee shall be assisted by subordinate officers and staff provided by the appropriate Government.

(3) The non-official members of the Committee shall be entitled to travelling and daily allowance at the rate admissible to the Group 'A' Officers of the Central Government.

18. Salaries, allowances, etc. of Presiding Officer, Registrar and other officers and employees of Authority.– (1) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) and procedure for the investigation of misbehavior or incapacity of the Presiding Officer of Authority shall be the same as applicable to a District Judge.

(2) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the Registrar of the Authority shall be the same as applicable to an officer of the rank of Deputy Secretary in the Central Government.

(3) The salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service (including pension, gratuity and other retirement benefits) of the officers and employees of the Authority shall be the same as applicable to the officers of the Central Government of equivalent rank.

19. Procedure of National Monitoring Committee.– (1) The National Monitoring Committee constituted under section 48 shall review and monitor the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes for the projects within two months of the publication of the approved schemes by the Commissioner under section 18 and thereafter, the meetings of the Committee shall be held once in three months to review and monitor the implementation of the rehabilitation and resettlement schemes.

(2) For the purposes of sub-rule (1), the Committee may –

(a) call for records and information of rehabilitation and resettlement schemes;

(b) call the Requiring Body for discussion as and when required;

(c) ask for report about implementation of its decision.

(3) The non-official experts associated with the National Monitoring Committee shall be paid travelling and daily allowance at the rate admissible to an officer of the rank of Joint Secretary in the Central Government.

CHAPTER VI

Miscellaneous

20. Manner of return of unutilised land.– (1) When any land acquired under the Act remains unutilised for a period of five years as referred to in section 101, the same shall be returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank by issuing a notice to the Requiring Body for whom the land was acquired and by giving an opportunity of being heard and by passing necessary order in writing by the Collector in this behalf for this purpose.

(2) After passing the order by Collector under sub-rule (1), the Collector shall take the possession of the acquired land for the purpose of returning the same to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, or to the Land Bank.

(3) If the land is being returned to the original owner or owners or their legal heirs, as the case may be, the compensation paid to them excluding solatium shall be returned and deposited by them in the designated account of the office of the Collector as specified by him before taking possession of the land and the amount so refunded shall be used towards development of culturable wastelands.

(4) If the Requiring Body does not handover possession of the said land to Collector, the Collector shall be competent to take the help of the concerned Executive Magistrate and police force to take the possession after giving prior notice to the Requiring Body.

IndiaCode

FORM-I

[See rule 3(1)]

Request for Acquisition of Land

From:

Name
and/or Designation of the Requiring Body

To:

1. The Collector

District_____

2. Commissioner, Rehabilitation and Resettlement,

IndiaCode

It is requested to acquire _____hectare(s) of land for which_____project/purpose and the details are furnished in Annexures I, II and III along with three copies of Combined Sketch (to scale)showing the lands to be acquired.

The gestation period of the project will be _____years and_____ months (applicable only if gestation period is more than five years.)

Requisite cost of acquisition including cost of social impact assessment study (SIA) is available and will be deposited in your office, as provided under provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 as and when required by you. All further necessary information and assistance will be provided on the date/time appointed/stipulated by you.

Yours faithfully

Requiring Body

Annexure -I

Name of the project:-

(1) Name of the village-

(2) Name of the Taluk/Sub-division/Tehsil/Block (as applicable)-

(3) Name of the Municipality/Municipal Corporation-

(4) Name of the District-

(5) Survey Nos. to be acquired-

(6) Total area under request (in hectares /sq. metres)

(7) Boundaries of the area to be acquired-

East-

West-

North –

South-

IndiaCode

(8) Area of the agricultural and irrigated multi-cropped land

(9) Reasons for inclusion of agricultural and irrigated multi-cropped land

(10) Details of buildings and other structures, tanks, wells, trees, etc.,

(11) Reasons for the inclusion of religious building, graveyard or tomb etc. for acquisition, if any.

Requiring Body

Annexure -II

Name of the project:-

1. Department or Government or Company, Local Authority, Institution:

2. Official designation of the Requiring Body:-

3. Purpose of acquisition (in detail) :-

4. Whether the request is filed u/s 2(1) of the Act by the Government or Department for its own use hold and control :-

5. Whether the request is filed u/s 2(1)(a) to 2(1) (f) of the Act:-

6. Whether the request is filed u/s 2(2) (a) or (b) of the Act :-

7. How many families are affected as described u/s 3(c)(i) to (vi) of the Act:-

8. Whether the request is filed u/s 40 of the Act :-

9. If so, on what ground?

10. Has the land for the project been partially purchased from the owners by private negotiation?

11. If so, on what date and on what terms (please state the terms of negotiation in short and attach the copy of it)

12. Date of issue of administrative approval for the project (copy to be attached) in case of Government or Department or local authority.

13. Reasons for delay in filing request, if request is filed after six weeks from the date of administrative approval of the project in case of Government or Department or local authority.

14. By what time possession of the land is required.

Requiring Body

IndiaCode

Annexure -III

Certificate to be furnished along with the request for acquisition of land by the Requiring Body

Name of the project:-

(1) Certified that the project for which the land is sought to be acquired has been administratively approved vide Department letter No: _____, dated _____ for acquisition under the Act (Copy of letter attached). (if applicable)

(2) The estimated cost of the project is of Rs._____ and necessary budget was sanctioned and funds are available towards cost of acquisition.

(3) The Requiring Body undertakes to pay the full amount in case of decree by the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority / High Court / Supreme Court as and when asked to do so by the Collector.

IndiaCode

Requiring Body

FORM II

[See rule 5(1)]

Preliminary Notification

No._____ Dated_____

Whereas it appears to the appropriate Government that a total of_____ hectares land is required in the _____Village_____ Taluk/Sub-division/Tehsil/Block (as applicable) _____ District for public purpose, namely,_____ Social Impact Assessment Study was carried out by Social Impact Assessment (SIA) Unit and a report submitted / preliminary investigation was conducted by a team constituted by Collector as laid down under rule 4. The summary of the Social Impact Assessment Report/ preliminary investigation is as follows (Attach copy of SIA report):

A total of _____(no.) families are likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such displacement is given below.

IndiaCode

_____ is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families. Therefore it is notified that for the above said project in the _____ Village of _____ Taluk/Sub-division/Tehsil/Block (as applicable) _____District a piece of land measuring, _____hectares viz; _____ hectare of standard measurement, whose detail description is as following, is under acquisition:

Sl. No.	**Survey No.**	**Type of title**	**Type of land**	**Area under acquisition (in hectare)**	**Name and address of person interested**	**Boundaries**			
						N.	**S.**	**E.**	**W.**

Trees	
Variety	***Number***

Structures	
Type	***Plinth area***

This notification is made under the provisions of section 11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), to all whom it may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector and ---------- on any working day during the working hours.

The Government is pleased to authorise Officer _____and his staff_____ to enter upon and survey land, take levels of any land, dig or bore into the sub-soil and do all other acts required for the proper execution of their work as provided and specified in section 12 of the said Act.

Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, etc., or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without prior approval of the Collector.

Objections to the acquisition, if any, may be filed by the person interested within 60 (sixty days) from the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before Collector.

Since the land is urgently required for the project falling within the purview of section 40(2) and the same has approval of the Parliament, it has been decided not to carry out the Social Impact Assessment Study, vide G.O. No._____,_____, dated_____. (Strike if not applicable)

Encl: As above

Place:

Date: **Collector**

IndiaCode

Form No. III

[See rule 6]

NOTICE BY COLLECTOR

No. ---------- Dt. ----------

Notice is hereby given that the land specified in the Schedule below and situated in the village of ---------- ---------- in the Taluk/Sub-division/Tehsil/Block (as applicable)---------- in the District of ----------is needed or is likely to be needed in accordance with the notification under section-11(1) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) published by the Collector at page ---------- of part I of the (name of State/UT) Gazette, dated ----------. All persons interested in the land are accordingly required to file their objections before ----------within sixty (60) days from the date of publication of the above preliminary notification, a statement in writing of their objection, if any, to the acquisition of the said land.

Any objection statement which is received after the due date or which does not clearly explain the nature of the senders interest in the lands is liable to be summarily rejected.

Objections received within the due date, if any, will be enquired into on ---------- at ---------- ---------- when the objectors will be at liberty to appear in person or by Advocate and to adduce any oral or documentary evidence in support of their objections.

IndiaCode

Schedule

Sl. No.	Survey No.	Total area in hectares	Area in hectares under acquisition	Name and address of the person interested	Boundaries N.S.E.W	Details of trees, structures etc., if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Place : **Collector**

Date :

FORM IV

[See rule 9]

Format for Development Plan under Rehabilitation and Resettlement scheme for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes families displaced due to land acquisition

Sl. No.	Name of claimant / family head	Permanent address	Entitlements (See section 31, 41 and Second Schedule to the Act)	Remarks
			1. Land up to 0.4 Hectare for agricultural, horticultural, cattle grazing field per family shall be provided. 2. Provision of dwelling housing unit per family, drinking water facility, toilet etc., 3. One time financial assistance of one lakh fifty thousand rupees per family shall be given. 4. For landless laborers employment shall be provided under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme or/and any other job providing Scheme of the Government, 5. Skill development through different training programs for the youth of affected family. 6. Subsistence grant for displaced family equivalent to three thousand rupees per month for a year from the date of award. 7. For cattle shed and petty shop, minimum twenty five thousand rupees. 8. Alternative fuel, fodder and non-timber forest produce resources on no-forest land, for affected members of Scheduled Castes. 9. Fishing Rights.	

(a) Details of Land rights due, but not settled :

(b) Details of actions for restoring titles of the Scheduled Tribes as well as the Scheduled Castes on the alienated land by undertaking a special drive,

(c) Programme for development of alternate fuel, fodder and non-timber forest produce resources on non-forest lands within a period of five years, sufficient to meet the requirements of tribal communities as well as the Scheduled Castes under section 41(5) of the Act.

FORM V

[See rule 10]

Declaration by Secretary, Revenue Department

No:_____ Dated_____.

Whereas it appears to the Government that a total of _____hectares land is required in the Village_____Taluk/Sub-division/Tehsil/Block (as applicable) _____District _____for public purpose, namely, _____

Therefore declaration is made that a piece of land measuring …… hectares is under acquisition for the above said project in the Village ……. Taluk/Sub-division/Tehsil/Block (as applicable) …… District---------- whose detailed description is as following:

Sl. No.	**Survey No.**	**Type of title**	**Type of land**	**Area under acquisition (in hectare)**	**Name and address of person interested**	**Boundaries**			
						N.	**S.**	**E.**	**W.**

Trees	
Variety	**Number**

Structures	
Type	**Plinth area**

This declaration is made after hearing of objections of persons interested and due enquiry as provided u/s 15 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013). The number of families likely to be resettled due to land acquisition is _____ for whom resettlement area has been identified, whose brief description is as following:-

Village_____ Taluk/Sub-division/Tehsil/Block (as applicable) _____ District_____Area _____(in hectares).

Mines of coal, iron-stone, slate or other minerals lying under the said land or any particular portion of the said land, except such parts of the mines and minerals which may be required to be dug or removed or used during the construction phase of the project for the purpose of which the land is being acquired, are not needed.

A plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Officer and _____on any working day.

A summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is appended.

Encl : As above

Secretary, Revenue Department

IndiaCode

FORM VI

[See rule 11]

Land Acquisition Award

Land Acquisition case No:

	Name of the Project -						
	Number and date of declaration under which the land is to be acquired						
	Situation and extent of the land in hectares, the number of field plots on the survey map, the village in which situated with the number of mile plan if any.						
	Description of the land, i.e., whether fallow, cultivated, homestead, etc. If cultivated, how cultivated? Source of irrigation						
	Names of persons interested in the land and the nature of their respective interests.						
	Aadhaar No. of such persons						
	Amount allowed for the land itself, without trees, buildings etc., if any						
	Amount allowed out of such sum as compensation for the tenants interested in the land.						
	Basis of calculation:						
	Amount allowed for trees, houses or any other immovable property						
	Amount allowed for crops.						
	Additional compensation on the market value under section 30(3)						
	Damages under section 28 of Act 30 of 2013						
	Solatium u/s 30(1)						
	Total of amounts						
	Particulars of abatement of Government Revenue, or of the capitalised value paid, the date from which the abatement takes effect.						
	Apportionment of the amount of compensation.	**Serial No.**	**Name of claimants**	**Aadhaar No.**	**Amount payable to each**	**Bank A/c No. ***	**Remarks**
	Area (in hectares)						
	Date on which possession was taken u/s. 38(1) and 40(1) of Act 30 of 2013.						

If under section 40(1) the number and date of the order of Government giving authority to do so.

Date: **Signature**

* Bank account details to be collected in all cases where Aadhaar number is not available or Aadhaar is not seeded in the bank account of the claimant.

IndiaCode

FORM VII

[See rule 11]

Award for Rehabilitation and Resettlement

Land Acquisition case No:

1.	Name of the project -								
2.	Number and date of declaration under which the land is to be acquired.								
3.	Situation and extent of the land in hectares, the number of field plots on the survey map, the village in which situated with the number of mile plan if any.								
4.	Description of the housing units, transportation cost, housing allowances, annuity, employment subsistence grant, cattle shed, petty shop, one time resettlement allowances etc.								
5.	Name/ Names of persons interested in the land and the nature of their respective claim for rehabilitation and resettlement.								
6.	Apportionment of the amount of compensation Area (in hectares)	Sl. No.	Name of claimants / affected family	Aadhaar No.	Rehabilitation and Resettlement entitlements	Bank A/c. No.	Amount payable to each	Non monetary entitlements	Remarks
					(i) House to be allotted (ii) Land to be allotted (iii) Offer for Developed Land (iv) Annuity/ Employment (v) Subsistence grant (vi) Transportation cost, Housing allowances (vii) Cattle shed, Petty shop (viii) One time grant to artisan, small traders and certain others (ix) Fishing rights (x) One time resettlement allowances (xi) Stamp duty and registration fee				

Indiacode

7.	Date on which Rehabilitation and Resettlement entitlements given to the affected family.						
8.	Basis of calculation:						
9.	Amount allowed for trees, houses or any other immovable things.						
10.	Amount allowed for crops.						
11.	Additional compensation on the market value under section 30(3)						
12.	Damages under section 28 of Act 30 of 2013						
13.	Solatium u/s 30(1)						
14.	Total of amounts						
15.	Particulars of abatement of Government Revenue, or of the capitalised value paid, the date from which the abatement takes effect.						
	Apportionment of the amount of compensation.	**Serial No.**	**Name of claimants**	**Aadhaar No.**	**Amount payable to each**	**Bank A/c. No. ***	**Remarks**
	Area (in hectares)						
16.	Date on which possession was taken under section 38(1) and 40(1) of Act of 30/2013.						

If under section 40(1), the number and date of the order of Government giving authority to do so.

Date: **Signature**

IndiaCode

* Bank account details to be collected in all cases where Aadhaar number is not available or Aadhaar is not seeded in the bank account of the claimant.

[F.No. 13011/01/2015- LRD]

HUKUM SINGH MEENA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.